अजमेर

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

287/2018/76 मन्जू राठौड v/s राज० सरकार

तारीख पेशी	2017/00287 हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जोइस हुक्म की तामील जारी हुए
	श्री अजीतसिंह राठौड, एड० अधि० श्री धर्मवीर चौधरी G.A.	

मंजू राठौड़ बनाम राज.सरकार वगैरह

17.9.19 पत्रावली वास्ते आदेशार्थ पेश। अभिभाषक उभयपक्ष उपस्थित। अपील पर दिनांक 04.09.2019 को अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील निवेदन किया कि हल्का पटवारी कायड़ द्वारा अपीलांट के विरूद्ध तहसीलदार, अजमेर के समक्ष 91 एल.आर.एक्ट के तहत् अतिक्रमण बाबत् रिपोर्ट प्रस्तुत कर अंकित किया कि श्रीमती मंजू राठौड़ पुत्री हरिसिंह राठौड़ निवासी कुन्दन नगर, अजमेर तथा राजीव तिवाड़ी पुत्र एस.के.तिवाड़ी एवं तेजसिंह पुत्र पूरण सिंह द्वारा ग्राम कायड़ तहसील व जिला अजमेर स्थित भूमि खसरा नम्बर 3954 तथा 3955 किस्म बारानी में से 838 वर्ग मीटर पर अनाधिकृत रूप से बाउण्ड्रीवाल बनाकर अतिक्रमण कर लिया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर तहसीलदार, अजमेर ने प्रकरण दर्ज कर अपीलांट के विरूद्ध दिनांक 21.09.2016 को बेदखली एवं शास्ती के आदेश पारित दिये। जिसके विरूद्ध जिला कलक्टर, अजमेर के समक्ष अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजीयात के आधार खसरा नम्बर 3881 रकबा 0.58 है0 तथा 3881/4960 रकबा 1.10 है0 स्थित ग्राम कायम के खातेदार थावरदास बुलानी पुत्र झम्मटमल जाति हिन्दू सिन्धी थे जिनके द्वारा अधिकांश भाग अजीज मौहम्मद को विक्रय किया गया जिसके द्वारा वर्किंग खसरा नम्बर 2089 मिन हाल 3881, 3881/4960 में से 10 बिस्वा 6.7 बिस्वांसी भूमि श्रीमती माया शर्मा पत्नि बालूराम शर्मा निवासी रघुनाथगढ़ तहसील भिनाय को विक्रय कर दी गई जिसके आधार पर नामान्तकरण संख्या 1708 दिनांक 23.11.2009 को तस्दीक किया जाकर श्रीमती माया शर्मा का नाम राजस्व रिकार्ड में रकबा 0.09.11.39 का अमद दरामद किया गया। तत्पश्चात श्रीमती माया शर्मा द्वारा दिनांक 23.12.2011 को रूबरू गवाहान मुख्त्यारनामा आम निष्पादित कर अपीलांट को प्रश्नगत आराजी की सार संभाल, बुवाई, कृषि कार्य तथा न्यायालय एवं नगर संकुलन एवं नगर नियोजन विभाग में चाराजोही बाबत् समस्त अधिकार प्रदान कर दिये तब से अपीलांट विवादित भूमि पर बहैसियत मुख्त्यारआम काबिज काश्त चली आ रही है तथ खसरा नम्बर 3954 तथा 3955 के किसी भी भाग पर कोई अतिक्रमण नहीं है वरन बन्दोबस्त विभाग द्वारा आधार नक्शा ट्रेस त्रुटिपूर्ण रूप से मुर्तिब कर दिया जिससे अपीलांट की मुख्त्यारनामा में प्राप्त आराजीयात सिवायचक भूमि मे दर्शा दी गयी जिसकी दुरूस्ती हेतु उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के समक्ष प्रकरण संख्या 41/2016 अन्तर्गत धारा 131 सपठित धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम विचाराधीन है। ऐसी स्थिति में प्रकरण 41/2016 निर्णित होने तक अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलांट के विरूद्ध धारा 91 एल.आर.एक्ट के तहत् कार्यवाही को ड्रोप फरमाने का निवेदन किया गया। जिला कलक्टर, अजमेर द्वारा अपील का अवैधानिक रूप से दिनांक 26.07.2018 का खारिज कर दी गयी। जिला कलक्टर, अजमेर के आदेश दिनांक 26.07.2018 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है।

अभिभाषक अपीलांट ने आगे बहस में कथन किया कि श्रीमती माया शर्मा के नाम राजस्व एजेन्सी द्वारा क्रयशुदा आराजीयात बहैसियत खातेदार वर्तमान अधिकार अभिलेख में दर्ज की गई है एवं उक्त क्रयशुदा आराजीयात पर ही अपीलांट बहैसियत मुख्त्यारआम काबिज चली आ रही है। इस प्रकार अपीलांट आधार खसरा नम्बर 3881 एवं 3881/4960 के श्रीमती मायादेवी द्वारा क्रयशुदा भू-भाग पर बहैसियत मुख्त्यारआम काबिज है अर्थात अपीलांट खसरा नम्बर 3954 एवं 3955 के किसी भी भाग पर कतई काबिज नही है। बन्दोबस्त के दौरान श्रीमती मायादेवी की खातेदारी की भूमि को आधार नक्शा ट्रेस में यदि त्रुटिपूर्ण रूप से दर्शा दिया गया है तो उसे राजस्व एजेन्सी द्वारा अथवा न्यायालय हाजा द्वारा बहैसियत भूमि धारक दुरूस्त किया जाना चाहिए क्योंकि अपीलांट श्रीमती माया देवी की जरखरीद खातेदारी की भूमि पर बहैसियत मुख्त्यारआम काबिज है। यदि आधार नक्शा ट्रेस में विवादित भूमि पर निरन्तर.....

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

अपील

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

287/2018/76 मन्जू राठौड़ V/S राज० सरकार

तारीख पेशी	2018/00287 हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जोइस हुक्म की तामील जारी हुए

श्री अजीत सिंह राठौड़, एडवोकेट श्री धर्मवीर चौधरी GA

निरन्तर...

आधार नम्बर 3954 एवं 3955 में दर्शा दी गई है वह राजस्व एजेन्सी द्वारा नक्शें में दुरूस्ती किया जाना न्यायोचित है अर्थात आधार नक्शें में कारित त्रुटि के आधार पर अपीलांट/मुख्त्यारआम के विरूद्ध 91/90 ए के तहत् कोई कायवाही नहीं की जा सकती। जिससे उक्त प्रकरण ड्रोप किया जाना न्यायोचित था। जिला कलक्टर, अजमेर द्वारा स्वंय अपने निर्णय में यह स्वीकार किया है कि प्रश्नगत भूमि के रिकार्डेड खातेदारान द्वारा वर्किंग एवं आधार नक्शा ट्रेस में कारित त्रुटि की दुरूस्ती बाबत् प्रकरण सक्षम न्यायालय में विचाराधीन है उसी के जरिये वांछित अनुतोष प्राप्त किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 41/2016 में निर्णय पारित फरमाने तक धारा 91 एल.आर.एक्ट के तहत् कार्यवाही को ड्रोप फरमाया जाना न्यायोचित था लेकिन नक्शा ट्रेस मे त्रुटि कारित होना स्वीकार करने के बावजूद आदेश अन्तर्गत द्वितीय अपील दिनांक 26.07.2018 को अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील निरस्त फरमाया गयी। जिला कलक्टर, अजमेर के आदेश दिनांक 26.07.2018 एवं तहसीलदार, अजमेर के आदेश दिनांक 29.9.2016 को निरस्त फरमाया जाकर बन्दोबस्त विभाग द्वारा वर्किंग एवं आधार नक्शा ट्रेस में कारित त्रुटि को मौके पर राजस्व एजेन्सी/बन्दोबदस्त विभाग/ई.डी.एम सर्वे करवाकर दुरूस्त की जावे तथा अधिकार अभिलेख में दर्ज खातेदारान को एवं अपीलांट श्रीमती माया देवी की खातेदारी की भूमि पर काबिज कराया जावें तथा धारा 91 एल.आर.एक्ट की कार्यवाही ड्रोप फरमाने का आदेश प्रदान करावे। अभिभाषक अपीलांट ने अपने पक्ष में 1995 (2) पेज 460 का न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

राजकीय अभिभाषक ने दौराने जवाब बहस में निवेदन किया कि तहसीलदार, अजमेर के रिकार्ड में सलंग्न जमाबंदी 2069 से 2072 में विवादित आराजी खसरा नम्बर 3954 रकबा 4.40है. एवं खसरा नम्बर 3955 रकबा 1.00 है0 राज.सरकार के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है तथा पटवारी हल्का कायड़ ने तहसीलदार, अजमेर को रिपोर्ट की मंजू राठौड़, राजीव तिवाड़ी एवं तेज सिंह ने उक्त खसरान में से 838 वर्गगज का कब्जा कर बाउण्ड्री बना रखी है। अपीलांटस को धारा 91 राज.भू–राजस्व अधिनियम का नोटिस जारी करने के बावजूद भी अतिक्रमण नहीं हटाये जाने के कारण तहसीलदार, अजमेर द्वारा दिनांक 29.09.2016 को अपीलांटस को बेदखल करने एवं शास्ति आरोपित की है। तहसीलदार, अजमेर द्वारा अपीलांट को साक्ष्य व सुनवाई हेतु कई अवसर दिये थे किन्तु फिर भी तहसीलदार, अजमेर के समक्ष उपस्थित नही हुए। विवादित आराजी पर अपीलांट का अतिक्रमण होने के कारण धारा 91 राज.काश्तकारी अधिनियम की कार्यवाही की गई है जो विधि सम्मत है। न्यायालय हाजा से अनुरोध है कि अपील अपीलांट खारिज फरमायी जावे।

अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावली व अपील का अवलोकन किया गया। अभिभाषक अपीलांट का कथन है कि अपीलांट संख्या 1 का खसरा नम्बर 3954 व खसरा नम्बर 3955 के किसी भी भाग पर कतई अतिक्रमण नहीं है, बन्दोबस्त विभाग द्वारा साबिक नक्शें के मुकाबले वर्तमान नक्शा त्रुटिपूर्ण मुर्तिब कर दिया जिससे अपीलांटस के स्वामित्व की आराजीयात त्रुटिपर्ण नक्शें में सिवायंचक दर्शा दी गई जबकि अपीलांटस द्वारा खातेदारी की भूमि क्रय कर कब्जा व दखल प्राप्त किया गया एवं हाल नक्शा ट्रेस की दुरूस्ती हेतु उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के समक्ष प्रार्थना पत्र संख्या 41/2016 अन्तर्गत धारा 131 सपठित धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम भी दिनांक 28.04.2016 को प्रस्तुत किया गया है, जो विचाराधीन हैं जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपि भी प्रस्तुत की गई एवं अन्त में निवेदन किया गया उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा प्रार्थना पत्र में निर्णय पारित फरमाने तक अपीलांटस के विरूद्ध की जा रही उक्त कार्यवाही अन्तर्गत 91 भू–राजस्व अधिनियम को ड्रोप फरमाया जावे। बाद मनन अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित भूमि खसरा नम्बर 3954 रकबा 4.40है. एवं खसरा नम्बर 3955 रकबा 1.00 है0 राज.सरकार के

निरन्तर.....

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

अजमेर

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

287/2018/76 मन्जू राठौड़ V/s राज० सरकार

तारीख पेशी	2018/00287 हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर श्री अजीतसिंह राठौड़, एड० अधि० श्री धर्मवीर चौधरी G.A.	नम्बर व तारीख अहकाम जोइस हुक्म की तामील जारी हुए
निरस्त...	नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है तथा उक्त भूमि में से 838 वर्गमीटर पर अपीलांट ने अतिक्रमण कर बाउण्ड्री बना ली है, इस प्रकार अपीलांट विवादित आराजी पर अतिक्रमी की हैसियत से काबिज काश्त हैं। अपीलांट ने विवादित भूमि उनके द्वारा क्रय की गई है इस बाबत् कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नही किये हैं। इसलिए अपील में किसी भी प्रकार का अनुतोष पाने के अधिकारी नही है। अपील अपीलांट खारिज योग्य है। **अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.07.2018एवं तहसीलदार, अजमेर के आदेश दिनांक 21.09.2016 यथावत् रखा जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।** 17/9/17 राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर	